संख्या-154/2024/1938/सैंतीस-2-2024-1(9)/2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **निदेशक,**
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 अक्टूबर, 2024

विषयः- **"ई.एस.वी.एच.डी. मोबाइल वेटेनरी यूनिट के अन्तर्गत क्रायोकेन की व्यवस्था योजना" की गाइडलाईन्स।**

महोदय,

अवगत हैं कि वर्तमान में भारत सरकार के ई०एस०वी०एच०डी०-मोबाईल वेटेनरी यूनिट कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा की सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 520.37 लाख बोवाइन पशुधन के सापेक्ष प्रति एक लाख बोवाइन पशुधन संख्या पर एक मोबाईल वेटेनरी यूनिट की स्थापना हेतु भारत सरकार के वित्तीय पोषण से कुल 520 मोबाईल वेटेनरी यूनिट की स्थापना की गयी है। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मोबाईल वेटेनरी यूनिट के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य भी कराया जाना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्यक विचारोपरान्त "ई.एस.वी.एच.डी. मोबाइल वेटेनरी यूनिट के अन्तर्गत क्रायोकेन की व्यवस्था योजना " का प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् हैः-

ई.एस.वी.एच.डी. मोबाइल वेटेनरी यूनिट के अन्तर्गत क्रायोकेन की व्यवस्था योजना

योजना की पृष्ठभूमिः-

प्रदेश में 20वीं पशुगणना, 2019 के अनुसार कुल 190.20 लाख गोवंशीय व 330.17 लाख महिषवंशीय पशु हैं, जिनमें से प्रजनन योग्य गोवंशीय मादा पशु 89.36 लाख व महिषवंशीय मादा पशु 153.12 लाख हैं, जो कुल बोवाईन पशुओं की संख्या के आधे से भी कम हैं। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है, परन्तु प्रति पशु उत्पादकता कम है। पशुधन विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त पशु प्रजनन पर आधारित है। कम समय में अनुवांशिक उन्नति के लिए कृत्रिम गर्भाधान एक सरल व सशक्त माध्यम है तथा पशु प्रजनन कार्यक्रम की रीढ़ है।

अतः उच्च अनुवांशिक वीर्य के माध्यम से वृहद् स्तर पर पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करते हुए उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में भारत सरकार के ई०एस०वी०एच०डी०-मोबाईल वेटेनरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यूनिट अन्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा की सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 520.37 लाख बोवाइन पशुधन के सापेक्ष प्रति एक लाख बोवाइन पशुधन संख्या पर एक मोबाईल वेटेनरी यूनिट की स्थापना हेतु भारत सरकार के वित्तीय पोषण से कुल 520 मोबाईल वेटेनरी यूनिट की स्थापना की गयी है। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मोबाईल वेटेनरी यूनिट के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य भी कराया जाना है।

औचित्यः-

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप मोबाईल वेटेनरी यूनिट के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य भी कराया जाना है। वर्तमान में भारत सरकार के ई०एस०वी०एच०डी०-मोबाईल वेटेनरी यूनिट अन्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा की सेवायें ही उपलब्ध करायी जा रही हैं। पशुपालन विभाग अन्तर्गत स्थापित 520 मोबाईल वेटेनरी यूनिट के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य भी कराये जाने हेतु प्रत्येक यूनिट के लिए 03 ली० एवं 47 ली० के एक-एक बायोलॉजिकल क्रायोकेन तथा 50-55 ली० के एक ट्रान्सपोर्ट क्रायोकेन अर्थात् 03 ली०, 47 ली० एवं 50-55 ली० के लगभग 520 क्रायोकेन्स (प्रत्येक धारिता हेतु) की आवश्यकता होगी। मोबाईल वेटेनरी यूनिट हेतु क्रायोकेन आदि उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में नवीन योजना, "ई०एस०वी० एच०डी०-मोबाईल वेटेनरी यूनिट के अन्तर्गत क्रायोकेन की व्यवस्था (रा०यो०)" के अन्तर्गत पूँजीगत मद में रू0 230.36 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

योजना का स्वरूपः-

उत्तर प्रदेश में 520.37 लाख बोवाइन पशुधन के सापेक्ष प्रति एक लाख बोवाइन पशुधन संख्या पर एक मोबाईल वेटेनरी यूनिट की स्थापना हेतु भारत सरकार के वित्त पोषण से 75 जनपदों में विद्यमान बोवाइन पशुधन के आधार पर मोबाइल वेटेनरी यूनिट का आवंटन करते हुए कुल 520 मोबाईल वेटेनरी यूनिट की स्थापना की गयी है। इन 520 मोबाईल वेटेनरी यूनिट का संचालन पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश को 05 जोन में विभक्त कर प्रत्येक जोन हेतु चयनित सेवाप्रदाता फर्मों के माध्यम से किया जा रहा है। सेवाप्रदाता फर्म द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मोबाइल वेटेनरी यूनिट पर एक पशुचिकित्साविद्, एक मल्टीटास्किंग पर्सनल एवं वाहन चालक सह-सहायक की व्यवस्था कर इनका संचालन किया जा रहा है। इन मोबाइल वेटेनरी यूनिट के संचालन अन्तर्गत प्रत्येक जोन हेतु एक-एक कॉल सेन्टर भी क्रियाशील है। मोबाइल वेटेनरी यूनिट जनपद में चिन्हित राजकीय पशुचिकित्सालयों पर रखी जाती हैं। पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक मोबाइल वेटेनरी यूनिट के माध्यम से योजनान्तर्गत पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जाना भी प्रस्तावित है।

योजना का क्रियान्वयनः-

(1) योजनान्तर्गत पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक यूनिट के माध्यम से मोबाइल वेटेनरी यूनिट के निर्धारित शेड्यूल्ड रूट एवं समय पर कैम्प के आयोजन की अवधि में कृत्रिम गर्भाधान के केस ज्ञात/प्राप्त होने अथवा पशुपालकों के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कॉल सेन्टर पर उपलब्ध करायी गयी सूचना के प्राप्त होने की दशा में पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य भी वाहन पर कार्यरत पशुचिकित्साविद् द्वारा अन्य कार्मिकों के सहयोग से कराया जाना है।

(2) एम०वी०यू० पर पदस्थ पशुचिकित्साधिकारी/एम०टी०एस० (राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ) द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य से सम्बन्धित डाटा को पोर्टल पर अंकित करने के लिए, उसकी भारत पशुधन आई०डी० परिषद मुख्यालय द्वारा बनायी जायेगी।

(3) उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक यूनिट पर एक 03 ली० (सीमन उपयोग के लिए) (पशुपालक के द्वार पर कृ०ग० हेतु), बायोलॉजिकल क्रायोकेन-47 ली० (सीमन स्टोरेज के लिए) एवं तरल नत्रजन स्टोरेज के लिए बायोलॉजिकल क्रायोकेन 50-55 ली० के उपार्जन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

(4) योजनान्तर्गत क्रायोकेन्स के उपाजर्नोपरान्त 03 ली० एवं 47 ली० के बायोलॉजिकल क्रायोकेन को एम०वी०यू० में रखना एवं 50-55 ली० के बायोलॉजिकल क्रायोकेन को एम०वी०यू० हेतु निर्धारित स्टोर रूम में एम०वी०यू० पर पदस्थ पशुचिकित्साधिकारी के नियंत्रण में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान कार्य का निष्पादन किया जाना है।

(5) इन तरल-नत्रजन पात्रों में तरल नत्रजन की आपूर्ति मोबाइल वेटेनरी यूनिट के पार्किंग स्थल के राजकीय पशुचिकित्सालय पर पदस्थ/प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी की संस्तुति के क्रम में सीमन स्ट्राज की मात्रा की मांग के सापेक्ष उ०प्र० पशुधन विकास परिषद द्वारा जनपद के सन्निकट स्थापित जोनल केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान में लागू व्यवस्था के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी।

(6) योजनान्तर्गत पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान के कार्य हेतु कृत्रिम गर्भाधान किट का उपार्जन कृत्रिम गर्भाधान योजना (रा०यो०) के अन्तर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से किया जाना प्रस्तावित है।

(7) एम०वी०यू० पर पदस्थ पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिदिन तरल नत्रजन, सीमन स्ट्राज एवं कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग से सम्बन्धित सूचना परिषद मुख्यालय पर उपलब्ध कराया जाना है।

(8) योजना के संचालन से कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन में बढ़ोत्तरी होने से 'indiscriminate' (अविवेकी) प्रजनन में कमी आयेगी तथा भविष्य में उच्च गुणवत्ता/अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली संततियों की प्राप्ति होगी।

<u>योजना का वित्तीय स्वरूपः-</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-102-पशु तथा भैंस विकास-03-ई.एस.वी.एच.डी. मोबाइल वेटेनरी यूनिट के अन्तर्गत क्रायोकेन की व्यवस्था (रा.यो.) के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के अन्तर्गत रू0-230.36 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्रत्येक मोबाईल वेटेनरी यूनिट (MVU) हेतु 03 ली0 एवं 47 ली0 के एक-एक बायोलॉजिकल क्रायोकेन तथा 50-55 ली0 के एक ट्रान्सपोर्ट क्रायोकेन का क्रय किया जाना है। इस प्रकार प्रत्येक धारिता 03 ली0, 47 ली0 एवं 50-55

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ली0 के लगभग 520 क्रायोकेन्स का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त तरल नत्रजन पात्रों का उपार्जन निविदा/जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा।

<u>योजना का अनुश्रवण:-</u>

- परिषद द्वारा योजनान्तर्गत क्रायोकेन्स के उपार्जनोपरान्त सम्बन्धित जनपदों को जनपदों में स्थापित मोबाइल वेटेनरी यूनिट की संख्या के अनुपालन में उपलब्ध कराया जाना है।
- योजना का अनुश्रवण जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं मोबाइल वेटेनरी यूनिट के पार्किंग स्थल के राजकीय पशुचिकित्सालय पर पदस्थ/प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 के माध्यम से इनके संचालन का सघन अनुश्रवण किया जायेगा।
- राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद एवं निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग के माध्यम से भी इनके संचालन का अनुश्रवण किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-154/2024/1938(1)/सैंतीस-2-2024-1(9)/2023, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।